न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–354/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00261)

1. श्री ताराचन्द पुत्र श्री मधाराम, आयु 50 वर्ष, जाति जांगिड़, निवासी ग्राम बुडाना,पोस्ट बुडाना तहसील व जिला झुनझुनू, रजास्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियेत हसीलदार तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू रजासथान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.09.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के आदेश दिनांक 09.12.2016 (प्रकरण संख्या 98/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि जयराम पुत्र स्व. श्री मंगाराम सैनी, जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 26 कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान एवं अन्य सहखातेदार की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि वाके ग्राम झुन्झुनू पटवार हल्का झुन्झुनू में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2181 रकबा 1.95 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2162 रकबा 1.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2183 रकबा 1.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2184 रकबा 1.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2184/3958 रकबा 0.68 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2185 रकबा 1.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2199 रकबा 0.30 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 8.08 हैक्टयर स्थित है, जिसमें जयराम का संयुक्त अभिभाजित हक हिस्सा व अधिकार निजी रहा है, उक्त खातेदार जयराम को अपने परिवार की जायज जरूरतों की पूर्ति करने एवं जायज चलन हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण जयराम ने अपनी उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा अपीलार्थी को विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर अपीलार्थी को अपने रिहायश हेतु भूमि क्रय करने की आवश्यकता होने के कारण अपीलार्थी उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुऐ उक्त भूमि क्रय करने हेतु सहमत हुआ जिस पर उक्त खातेदार जयराम ने उक्त वर्णित भूमि में अपने हक, हिस्से व अधिकार की भूमि में से 462.81 वर्गगज अर्थात 386.90 वर्गमीटर भूमि को अपीलार्थी से विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2008 को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया, उक्त विक्रय पत्र को दिनांक 06.02.2008 को उप पंजीयक झुन्झुनू के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 234 में पृष्ठ संख्या 40, क्रम संख्या 2008000411 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 638 के पृष्ठ संख्या 327 से 336 पर चस्पा किया गया तथा अपीलार्थी दिनांक 06.02.2008 से ही उक्त भूमि पर अपीलान्ट बतौर स्वामी, मालिक काबिज जायदाद की हैसियत से आस–पास

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

के रिहायशी खातेदार काश्तकार की जानकारी में खुले रूप से निरन्तर शान्तिपूर्वक तरीके से बिना किसी बांधा व रूकावट के खुलेरूप से तथा बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा अपीलार्थी की उक्त क्रयशुदा भूमि से अपीलार्थो के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति संस्था का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम से इन्द्राज नही हुआ है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरकण हेतु चलाये गये अभियान के अनरूप फौरी कागजी कार्यवाही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य की क्रयशुदा भूमि में प्रचलित रास्ता होना उल्लेखित करते हुये उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही न्याय के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याया के सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य की रिहायश हेतु क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 09.12.2016 को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु आदेश पारित कर दिये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2016 कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों व विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात के विपरित, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि में से कभी भी कोई रास्ता संचालित नही रहा है, ना ही कभी भी प्रचलित रास्ता ही विद्यमान रहा है जबकि पटवार हल्का एवं गिरदावर हल्का द्वारा जिस रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह मौके की सही व वास्तविक स्थिति के विपरित जाकर मौके की स्थिति का जायजा लिये बिना ही किया गया है जिसका कानून में कोई महत्व नही है लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु जो अभियान वर्ष में 2016 में चलाया गया था उस हेतु परिपत्र दिनांक 10.08.2016 को जारी होकर प्रकाशित किया गया था लेकिन उक्त परिपत्र में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 से 4 की सम्पूर्ण कार्यवाही माह अगस्त सितम्बर व अक्टूबर 2016 तक ही पूर्ण की जानी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 09.12.2016 को अभियान की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् पारित किया गया है जबकि कोई भी राजस्व अभियान निश्चित समयावधि के लिये ही चलाया जाता है तथा अभियान की समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् उक्त अभियान के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती है लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अभियान 2016 का हवाला देते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 28.08.2017 को पटवार हल्का मय जाप्ता मौके पर आया तथा अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की नाप जोख करने लगा जिस पर अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में आपत्ति की तथा उनसे निवेदन किया कि उसके स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि के सम्बन्ध मे किस प्रयोजन हेतु नाप–जोख की जा रही है जिस पर पटवार हल्का ने अपीलार्थी को बतलाया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध मे न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.12.2016 को गैर मुC रास्ता दर्ज करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रास्ते बाबत नामान्तरकरण भी तस्दीक किया जा चुका है जिसकी अनुपालना में उक्त नाप–जोख की कार्यवाही की जा रही है जिसका अपीलार्थी ने विरोध किया तो मौके पर भीड़ इकठठी हो गई तथा मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने से उस समय तो पटवारी हल्का मय जाप्ता मोके पर से चला गया लेकिन शीघ्र ही राजस्व विभाग के द्वारा मय दलबल मौके पर रास्ता निकालने हेतु कार्यवाही की जावेगी जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.08.2017 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की सर्वप्रथम बार जानकारी हुई इससे अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है जिससे जानकारी की देनांक से यह अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थी किसी भी प्रकार कोई कानूनी पेचिदगियों उत्पन्न नही होना चाहता है जिससे अपीलार्थी की ओर से उक्त विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किये गये है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण में अपना जवाब प्रेषित किया है जिसमें अंकित किया है कि अपीलार्थी ने एक आवासीय भूखण्ड वादग्रस्त आराजी में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है, उक्त क्रयशुदा भूमि पर अपीलार्थी काबिज है, खातेदारों का व अपीलार्थी को बिना सुने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 3583 दिनांक 31.01.2017 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु स्वीकृत किया गया है, न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.16 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उससे पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया गया परन्तु राज्य सरकार द्वारा रास्ता अभियान चलाये गया था तथा रास्ते अभियान के निर्देशानुसार निर्णय पारित किया गया है, जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील निरस्त फरमाई जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में से रिहायश हेतु भूखण्ड क्रय करना कथन कर रहा है जबकि आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज रिकार्ड है तथा पटवारी व तहसीलदार की सर्वे रिर्पोट के अनुसार वादग्रस्त आराजी में मौके पर रास्ता स्थायी रूप से चाले होने पर राज्य सरकार के के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर